उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या–3000–औ0सं0 / 2023–19(125)ए0एस0 / 01 — दिनांकः 30 जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप

आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से विद्युत उपकेन्द्रों / लाइनों के अनुरक्षण एवं परिचालन आदि कार्यों हेतु नियोजित आउटसोर्स श्रमिकों की घातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उनके परिजनों को तात्कालिक सहायता हेतु प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश संख्या–2269–औ0सं0 / 2017–19(125) ए0एस0 / 01 दिनांक 01.05.2017 को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 16.06.2023 को सम्पन्न हुयी निदेशक मण्डल की 192(66)वीं बैठक में लिए गये निर्णयानुसार एतद्द्वारा निम्न व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है :–

1. आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से उपकेन्द्रों / लाइनों के अनुरक्षण कार्य में नियोजित आउटसोर्स श्रमिको की विभागीय कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक श्रमिकों के परिजनों को अनुमन्य की जाने वाली अनुग्रह धनराशि को रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 7.50 लाख किया जाता है।
2. कारपोरेशन द्वारा भुगतान की गयी अनुग्रह धनराशि की वापसी हेतु आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा नियोजित श्रमिकों का रू0 7.50 लाख का सामूहिक दुर्घटना बीमा पालिसी करायी जायेगी। उक्त सामूहिक दुर्घटना बीमा पालिसी के प्रीमियम का व्ययभार आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा जिसका निविदा जारी करते समय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा उक्त बीमा की राशि इंश्योरेन्स कम्पनी से प्राप्त कर सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में 120 दिनों में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की दशा में सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी के बीजक से कारपोरेशन द्वारा भुगतान की गयी उक्त धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। तदनुसार अनुबन्ध की शर्तों में भी इसका उल्लेख किया जायेगा, सम्बन्धित खण्ड / मण्डल के अन्तर्गत उक्त अनुग्रह धनराशि के भुगतान किये जाने एवं निर्धारित समयावधि में आउटसोर्स एजेन्सी से प्राप्ति का लेखा–जोखा रखने का दायित्व सम्बन्धित इकाई के लेखाकार का होगा।
3. वर्तमान में अनुबंधित आउटसोर्स एजेन्सियों द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों हेतु ली गयी बीमा पॉलिसी में बीमा धनराशि को अनुबंध समाप्त होने की अवधि तक रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख किया जायेगा। इस बढ़ी हुयी बीमा राशि के प्रीमियम की धनराशि का बीजक के साथ प्रीमियम भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने पर संबंधित खण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति के संबंध में दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगें। इस संबंध में अनुबन्धकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित आउटसोर्स एजेन्सी को पत्र प्रेषित किया जाये।

उक्त आदेश दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी माने जायेगें।

(मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्र)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–3000–औ0सं0 / 2023, तद्दिनांक :–

स्पीड-पोस्ट

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा / केस्को कानपुर।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा / केस्को कानपुर।

3. निदेशक (वित्त), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/केस्को कानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस आशय से कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ अधिकारियों/इकाईयों को उपलब्ध करा दें।
6. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407 शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

(प्रदीप कुमार)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)